POLITY

⇒ राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है The president has the power to summon the parliament and announce its prorogation.

⇒ राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। The President is bound to Convene at least two meetings of the parliament in a year

Art. 85

राष्ट्रपति → संसद ⇒ सत्र / अधिवेशन (Session)

बुला सकते हैं (Called the Session of parliament by the president)

1 वर्ष (years) कम से कम 2 सत्र (minimum 2 Session)

(1) बजट सत्र Budjet Session
(2) मानसून सत्र Monsoon Session
(3) शीतकालीन सत्र Winter Session

1st Session प्रथम अधिवेशन — IInd Session (दूसरा अधिवेशन)

अधिकतम अंतराल (Maximum Gap) ⇒ 6 माह (Months)

सत्र / अधिवेशन का सत्रावसान — सत्र का अंत करना

End of Session

अनुच्छेद - 85 - लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है Article 85 - Lok Sabha can be dissolved before its fixed term

राष्ट्रपति → लोकसभा सभा भंग [Dissolved]

भंग / विघटन

समाप्त [End] ॥ 5 वर्ष पर समाप्त

लोकसभा
- कार्यकाल (Tenure) → 5 year
- 2 साल कार्य → भंग (Dissolved) → नयी लोकसभा → 5 year's
- ③ शेष कार्यकाल [Remaining Tenure]

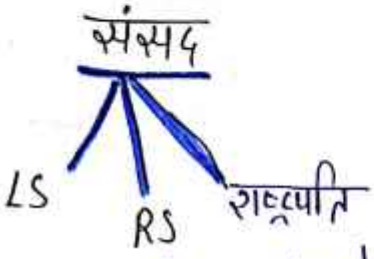
अनुच्छेद - 87 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करता है। Article 87 addresses the Joint Sitting of the two Houses of the parliament.

(LS/RS)

अनु. 86 - संसद के किसी सदन को लम्बित किसी विधेयक के सम्बन्ध में संदेश (Message) भेजने का अधिकार भी है। Article 86 - There is also the right to send a message to either House of parliament regarding a pending bill.

Art. 108 ⇒ राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य सभा की सयुक्त बैठक (Joint Session) बुला सकते है।

अनुच्छेद - 111



Bill → Signature नहीं करेंगा।
→ पुनर्विचार के लिए वापस (LS/RS)
Reconsider the bill of LS and RS
→ बिल पर कोई प्रतिक्रिया न दे।

Bill ⇒ Pass → Signature (हस्ताक्षर) → ACT

Bill (विधेयक) ⇒ अधिनियम (Act

संविधान संशोधन विधेयक
Constitution Amendment Bill)
इस पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

1. आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto) ⇒ जब हस्ताक्षर करने मना कर दें।
2. निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)
 - जब किसी विधेयक को पुनर्विचार (Reconsider) के लिए LS/RS को वापस कर दें।
 - ⇓
 - लेकिन यदि वह बिल (संशोधन या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो वह हस्ताक्षर (Signature) करने के बाध्य है।
3. जेबी वीटो (Poket Veto)
 - वीटो शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक पर करते हैं।
 - राष्ट्रपति विधेयक (Bill) को अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं।
 - इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने PBC में डालकर संशोधन विधेयक पर किया।

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

⇒ क्षमादान की शक्ति- अनुच्छेद -72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। Power of Pardon: Under Article 72, the President has been given the power of pardon.

अपराधी Criminal → Petition याचिका ⇒ राष्ट्रपति को।

मृत्यु दण्ड (Death of Sentence) → को क्षमा (Pardon) करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

⇒ राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलम्बन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है The president can pardon or grant reprieve, remission, respite or Commute the punishment of a person convicted of any offence

(1) क्षमा (Pardon) ⇒ किसी भी अपराधी को उसके अपराध की सजा से पूरी तरह मुक्त करना।

[2] प्रविलंबन (Reprieves) ⇒ फांसी की सजा को कुछ समय के लिए निलंबित (Suspend) करना।

Remission (परिहार) → अपराधी (Criminal) ⇒ 20 वर्ष का कठोर कारावास

Ex. ↳ 10 वर्ष / 5 / 15 वर्ष - कठोर कारावास

↳ सजा की अवधि (Duration) में कमी।

लघुकरण (Commute) → अपराधी - 30 वर्ष का कठोर कारावास

(1) → समय अवधि में कमी

[2] कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित

Respite (विराम) ⇒ विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सजा को माफ किया जाता है।

⇒ परामर्श का अधिकार - अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Consult) का अधिकार दिया गया है Right to Consultation - Article 143 gives the President the right to Consult the Supreme Court.

⇒ किन्तु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है But he is not bound to accept the opinion of the Supreme Court

राष्ट्रपति ⇒ परामर्श → Supreme Court विधिक मामलों
Consult Legal matters